



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]
No. 180]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 2007/फाल्गुन 2, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2007/PHALGUNA 2, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2007

का. आ. 262(अ).—केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उप-धारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नामक निकाय की 1 अक्टूबर, 2003 से स्थापना करती है। सदस्यों की समय अवधि समाप्त होने पर प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः :-

धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सदस्य :

(1) प्रो. एस. कन्नयन, अध्यक्ष (19-5-2008 तक नियुक्त)

धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त पदेन सदस्य :

(2) जनजाति मामले मंत्रालय में संयुक्त सचिव, भारत सरकार अथवा समतुल्य अधिकारी।

(3) भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय में अपर महानिदेशक (वन)।

(4) पर्यावरण और वन मंत्रालय में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त पदेन सदस्य :

(5) कृषि मंत्रालय में, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार अथवा समतुल्य अधिकारी।

(6) जैव प्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार अथवा समतुल्य अधिकारी।

(7) महासागर विकास विभाग में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार अथवा समतुल्य अधिकारी।

(8) कृषि और सहकारिता विभाग में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार अथवा समतुल्य अधिकारी।

(9) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी पद्धति विभाग में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार अथवा समतुल्य अधिकारी।

(10) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार अथवा समतुल्य अधिकारी।

(11) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार अथवा समतुल्य अधिकारी।

धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त गैर-सरकारी सदस्य :

(12) प्रो. राघवेंद्र गाढेकर, (21-2-2010 तक नियुक्त)
सेन्टर फार इकोलोजिकल साइंस, आई आई एस सी,
बंगलौर-12.

- (13) डॉ. एस. सुब्रह्मणियन, (21-2-2010 तक नियुक्त)
54 वी जी पी-गोल्डन सी ब्लू,
पार्ट-II; 2 मेन रोड,
5 क्रास स्ट्रीट, पलावक्कम,
चेन्नई-600041.
- (14) प्रो. के. केथेरिसन, सेन्टर फार एडवांस स्टेडी इन मैरिन बायोलोजी, (21-2-2010 तक नियुक्त)
अन्नामलाई विश्वविद्यालय,
पैरागियेपेटाई-608502.
- (15) प्रो. अनिल गुप्ता, (21-2-2010 तक नियुक्त)
भारतीय प्रबंध संस्थान,
वस्त्रपुर, अहमदाबाद ।
- (16) डॉ. ए. के. घोष, निदेशक, (21-2-2010 तक नियुक्त)
सेन्टर फार इन्वायरनमेंट एवं डेवलपमेंट,
329, जोधपुर पार्क,
कोलकाता-700068.

2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि 22 फरवरी, 2007 से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी :
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में प्रो. एस. कन्हैयन की पदावधि 19 मई, 2008 तक रहेगी ।

[फा. सं. जे-22018/46/2003-सी एस सी (बी सी)]-

जी. बालाचन्द्रन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में 1 अक्टूबर, 2003 में सं. का.आ. 1147(अ) के तहत 1 अक्टूबर, 2003 और तदुपरान्त अधिसूचना सं. का.आ. 497(अ) दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के तहत प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2007

S.O. 262 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (4) of Section 8 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government has established a body called the National Biodiversity Authority, on and from the 1st day of October, 2003 for the purposes of the said Act. After expiry of term of the Members, the Authority shall consist of the following members, namely :—

Member appointed as Chairperson under clause (a) of Sub-section (4) of Section 8 :

- (1) Prof. S. Kannaiyan, Chairperson (Appointed upto 19-5-2008)

Ex-officio members appointed under clause (b) of Sub-section (4) of Section 8 :

- (2) Joint Secretary or an officer of an equivalent rank to the Government of India in the Ministry of Tribal Affairs.
(3) Additional Director General (Forests), Ministry of Environment and Forests, Government of India.
(4) Joint Secretary to the Government of India dealing with the subject in the Ministry of Environment and Forests.

Ex-officio members appointed under clause (c) of Sub-section (4) of Section 8 :

- (5) Joint Secretary or an officer of an equivalent rank to the Government of India dealing with the subject in the Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture.
(6) Joint Secretary or an officer of an equivalent rank to the Government of India dealing with the subject in the Department of Biotechnology.
(7) Joint Secretary or an officer of an equivalent rank to the Government of India dealing with the subject in the Department of Ocean Development.
(8) Joint Secretary or an officer of an equivalent rank to the Government of India dealing with the subject in the Department of Agriculture and Cooperation.

- (9) Joint Secretary or an officer of an equivalent rank to the Government of India dealing with the subject in the Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.
- (10) Joint Secretary or an officer of an equivalent rank to the Government of India dealing with the subject in the Department of Science and Technology.
- (11) Joint Secretary or an officer of an equivalent rank to the Government of India dealing with the subject in the Department of Scientific and Industrial Research.

Non-official members appointed under clause (d) of Sub-section (4) of Section 8 :

- (12) Prof. Raghvender Gadhekar, (Appointed upto 21-2-2010)
Centre for Ecological Sciences, IISC,
Bangalore-12.
- (13) Dr. S. Subramaniyan, (Appointed upto 21-2-2010)
54 VGP-Golden Sea View,
Part II, 2nd Main Road,
5 Cross Street, Palavakkam,
Chennai-600041.
- (14) Prof. K. Kathiresan, (Appointed upto 21-2-2010)
Centre for Advanced Study in Marine Biology,
Annamalai University, Parangipettai-608502.
- (15) Prof. Anil Gupta, (Appointed upto 21-2-2010)
Indian Institute of Management (IIM),
Vastrapur, Ahmedabad.
- (16) Dr. A. K. Ghosh, (Appointed upto 21-2-2010)
Director, Centre for Environment & Development,
329 Jodhpur Park,
Kolkata-700068.

2. The term of office of the non-official members of the National Biodiversity Authority shall be for a period of three years with effect from the 22nd February, 2007 :

Provided that the term of Office of Prof. S. Kannaiyan as Chairperson of the National Biodiversity Authority shall be upto 19th May, 2008.

[F.No. J-22018/46/2003-CSC(BC)]

G BALACHANDHRAN, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated the 1st October, 2003 *vide* No. S.O. 1147(E) dated the 1st October, 2003 and subsequent Notification No. S.O. 497(E) dated 15th April, 2004.